



Vikas Institute of Engineering and Technology

Village- Jungle Ekla No-2 (HathwaTola), Post- Gulariha Distt-Gorakhpur-273013

Phones:- 0551-6453837, 6453840, 09415211233, 07800638733

Web site: www.vietgkp.org E-mail:- vietgkp100@yahoo.com, College Code-471

(विशेष साहक द्वारा)

प्रेषक,

निदेशक

विकास इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,

जंगल एकला नं० 2 (हथवा टोला)

पोस्ट-गुलहरिया, जिला-गोरखपुर।

सेवा में,

सचिव

प्रविधिक शिक्षा परिषद

लखनऊ, उ० प्र०।

पत्रांक सं०- 2020 / सी आई० ई० टी०/गोरखपुर /2019-20

दिनांक 02.05.2019

विषय- ए०आई०सी०टी०ई० के वेबपोर्टल से प्राप्त सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार/Affiliation 2019-20 के सूचना पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि ए०आई०सी०टी०ई० के वेबपोर्टल से प्राप्त पत्र सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार/Affiliation 2019-20 के सम्बन्ध में है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक

संलग्नक-

01- ए०आई०सी०टी०ई० के वेबपोर्टल से प्राप्त सूचना पत्र (फम सं० 1 से 3 तक)।



ok

Deep Rij
03-05-19

निदेशक
प्रविधिक शिक्षा परिषद
लखनऊ

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश अखण्ड।**

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2020/1071

अखण्ड दिनांक: 16-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

अधिकांश भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कानूनी कार्यालय और इम्प्लाइंग, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखण्ड प्राविणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सचिव द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधोदिता नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा वृद्धि अतिरिक्त अन्य बातों पर विचार कराया गया सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के स-2 में विदेशी इन इन्जीनियरिंग/पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा चयन विचार-विमर्श का निष्पत्तु निर्णय लिया गया।

निम्नी श्रेण में स्थापित विदेशी इन इन्जीनियरिंग/पाठ्यक्रम संघटित करने वाली विदेशी भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में एम्बार्डेन्सी/सीडी/द्वारा सत्र 2020-21 हेतु असावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एम्बार्डेन्सी/सीडी/द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उनके नाम के अनुसार अधिकांश पाठ्यक्रम/प्रवेश अथवा के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सचिव द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एम्बार्डेन्सी/सीडी/द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखण्ड सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्ड द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं अतिरिक्त प्रवेश अथवा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | संस्था का नाम | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | एम्बार्डेन्सी/सीडी/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा | परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश अथवा |
|----------|---------------|---|---|---|--|
| 1 | 4471 | विद्यया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नुनडी एकरा स-2 एकरा राज, पीठ-नुनडीवा, पीठनपुर। | विद्यया इंजीनियरिंग विद्यया इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम एवं सीडी इंजीनियरिंग सैटेलाइट इंजीनियरिंग कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। | 60 60 60 60 60 | 60 60 60 60 60 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें


- ✓ संस्था एम्बार्डेन्सी/सीडी/प्री-एम्बार्डेन्सी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविणिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविणिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, संशोधन विनियमवारी-2016 तथा अन्य विहित विधायक एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्जीनियरिंग/पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 31,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों कानूनी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कानूनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से जमा किया जायेगा। उपरोक्त की अधिकांश छात्र/छात्राओं में शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर संचालन द्वारा निर्णय किये जाने वाले संचालन अथवा शर्तों, और संपुलन

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीठा निर्वाचन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीठा का पुनर्निर्वाचन किया जाता है, तो पीठा की मधीयताएं वही जारी होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाए। विनियमवारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जाग्री को ही प्रवेश दिया जायेगा। पीठाओं के विना रह जाने की स्थिति में उल्लेख प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को सशत-समय पर निर्णय प्राप्त/समाप्त होने के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समिति/समितियों से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाए आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उल्लेख प्रदेश शासन द्वारा कनादे नवे शिक्षा/विद्यार्थी/अभियन्ता/साहाय्यता/निदेशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, (उपरोक्त) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, (उपरोक्त) तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, (उपरोक्त) द्वारा कनादे नवे विद्यार्थी, अभियन्ता, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होंगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कानूनी प्रावधानों की संस्थाएं यदि पीठा/आई. आई. दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त प्रशासनिक संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था तैयार रहना पड़ेगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उल्लेख प्रदेश शासन को कोई बात दाखल किया जाता है तथा दाखल कर के संस्था में या, व्यवहार्यता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन कानूनी प्रावधानों संघर्षित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उल्लेख प्रदेश शासन द्वारा कनादे नवे के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रदान होने से पूर्व पीठा/आई. आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उल्लेख प्रदेश की (कार्यालयित) के सम्बन्ध में कनादे संस्था स्तर पर सही प्रवेश) अनुप्राप्ति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उल्लेख प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत मधीयता आवश्यक निम्नो के अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएं, सत्र, सत्र-सत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, छात्रवृत्त सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रतिपालन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ वैशेष संकेतों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/संघर्षित प्रावधानों को पालने वाले हेतु निरीक्षण समिति को संस्था उपलब्ध करावे नवे अभिलेख, भूमि-सूचना, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रावधानों के संसाधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसाधन संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निरीक्षण समिति अनुसन्धानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(100 आर/आई. सिंह)
सचिव

पृष्ठ- 3 प्रतिपत्र/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141 तददिनांक: 15-09-2020
प्रतिपत्र-उपरोक्त/निदेशक, शिक्षा इन्स्टीट्यूट ऑफ इजीनियरिंग एन्ड टेक्नोलॉजी, पुनर्जी एका 10-2 एमका टॉन, पीठ-मुजफ्फर, श्रीनगर।


(100 आर/आई. सिंह)
सचिव

छिन्चोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग फॉरम होने के पूर्व पीओसीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिमेंट रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाया जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवन फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुसंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एओआईओसीटीआईओपीओसीआईओ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VIKAS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, JUNGLE EKLA NO. 2, HATHWA TOLA, POST GULARIA, GORAKHPUR

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव